उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 29/2026/310/छप्पन-2026-23/2017
लखनऊ, दिनांक: 16 मार्च, 2026

कार्यालय-ज्ञाप

नियुक्ति

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 में कार्यरत कार्मिकों के पारिश्रामिक/भत्तों के निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-52/2025/697/छप्पन-2025-17/2014 दिनांक 19 मई, 2025 में रोटर विंग के संविदा सेवा के लिए अनुमन्य मासिक पारिश्रमिक रेन्ज रु0 5.00 लाख से 10.00 लाख के अन्तर्गत रु0 7.50 लाख के नियत मासिक पारिश्रामिक एवं अनुमन्य उड़ान भत्ता पर श्री नीरज मिश्रा को नागरिक उड्डयन निदेशालय की परिचालन इकाई में पायलट (रोटर विंग) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष (दो वर्ष) की अवधि के लिए श्री राज्यपाल संविदा पर नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री नीरज मिश्रा को उक्त संविदा अवधि में उपर्युक्त नियत मासिक पारिश्रमिक व अनुमन्य उड़ान भत्ते के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे।

3- श्री नीरज मिश्रा से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करके उसकी एक-एक प्रति उन्हें एवं शासन को उपलब्ध कराई जाएगी।

4- इस पत्र के जारी होने के 20 दिन के अन्दर श्री नीरज मिश्रा द्वारा स्वीकृति-पत्र प्रेषित करना अनिवार्य है तथा यदि वह इस पत्र की तिथि से 03 माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो उनका अभ्यर्थन स्वत: निरस्त समझा जाएगा। विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्य पत्राचार नहीं किया जाएगा।

ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव

पृ0सं0- 29/2026/310(1)/छप्पन-2026-23/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि श्री नीरज मिश्रा से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करके उसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. श्री नीरज मिश्रा, Flat 402 B Wing, Rizvi Nagar, CHS Above Kenia Eye Hospital,SV Road,Santacruz(W) Mumbai 400054, Maharashtra
3. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
4. कोषधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7.
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in